न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः–लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 3/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

2. गंगाधर पुत्र नारायण राम, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/1 चन्द्रावली पत्नि जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/2 जयसिंह पुत्र जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/3 जलेसिंह पुत्र जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/4 विजयसिंह पुत्र जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/5 सूबेसिंह पुत्र जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2/6 शंकुतला पुत्री जोरावर सिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. प्रेमसिंह पुत्र नारायण राम, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. ललीता देवी पत्नि स्व0 धर्मपाल, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
6. शिवराज सिंह पुत्र स्व0 धर्मपाल, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
7. जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 धर्मपाल, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
8. सुनिता पुत्री स्व0 धर्मपाल, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
9. मिथलेश पुत्री स्व0 धर्मपाल, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
10. सुरेन्द्र दत्तक पुत्र स्व0 फूलसिंह, जाति जाट, निवासी अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अ0 धा0 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अ0धा0 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी –राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 2/1 लगायत 2/6 की ओर से बहस के दौरान उपस्थित नही।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 23.05.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं स्थित भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 खाता संख्या 248 वर्तमान

जिला कलक्टर झुंझुनूं

जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 मे अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 तथा अप्रार्थीगण 4 लगायत 8 के मृत पिता धर्मपाल जाति जाट एवं अप्रार्थी सं0 09 के मृत पिता फूलसिंह जाति जाट के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। गैर खातेदार धर्मपाल पुत्र नारायण राम, जाति जाट की मृत्यु हो चुकी है जिसके वैध वारिसान अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 है एवं इसी प्रकार गैर खातेदार फूलसिंह पुत्र नारायण राम जाति जाट की मृत्यु हो चकी है जिसके वैध वारिस अप्रार्थी सं0 09 है। प्रश्नगत भूमि के भू–प्रबन्धन से पूर्व गत खसरा नम्बर निम्न प्रकार थेः–

वर्तमान		गत	
खसरा नं0	**रकबा**	**खसरा नं0**	**रकबा**
496	0.59	260 / 11	5 बीघा 8 बिस्वा
498	0.46	260 / 11 मि0	—

प्रश्नगत भूमि की किस्म संवत् 2012 मे गैर मुमकीन नदी रही है। जमाबन्दी संवत् 2015–2018 मे बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों को राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा भूमि की किस्म को बिना किसी अधिकार, बिना किसी सक्षम आदेश के गैर मुमकीन नदी से परिवर्तित कर बारानी 3 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी अधिकार / गैर खातेदारी अधिकार दर्ज किया जाना, भूमि की किस्म परिवर्तित किये जाने का किसी व्यक्ति या राजस्व कर्मचारी को इस प्रकार का अभिलेख तैयार करने का कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि हमेशा से ही नदी / नाला आदि के अपवाह आदि के रूप मे रही है जो पानी के बहाव / भराव के रूप मे कामी आती रही है। उक्त प्रकार की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित प्रतिबन्धित भूमियों मे शामिल होने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की याचिका सं0 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण प्रश्नगत भूमि पर किसी भी निजी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। अतः पूर्व मे इस प्रकार की भूमियों पर किये गये सभी प्रकार के आंवटन / नियमन / अन्तरण प्रारम्भतया शून्य है एवं इस प्रकार मे बिना किसी आंवटन अथवा सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम अलीपुर तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं स्थित भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 की किस्म गैर मुमकीन नदी दर्ज करने एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी हजफ कर भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करे।

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम अलीपुर तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं स्थित भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 [illegible] बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2015 [illegible] 20 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 260 / 11 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 260 / 11 मि0 थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड था। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो प[illegible] योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनावेदक के खाते से हटाया जाकर पुनः गै0मु0 नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. **वकील** अप्रार्थी सं0 2/1 लगायत 2/6 की ओर से बहस के दौरान उपस्थित नही। प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम अलीपुर तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं स्थित भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 260/11 रकबा 5 बीघा 8 बिश्वा व खसरा नम्बर 260/11 मि0 थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 मे उक्त भूमि की किस्म एवं खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। है। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकिन नदी होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी भूमि रही है, वर्तमान में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझते है।

3. अतः ग्राम अलीपुर तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं स्थित भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 स्थित अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 की गैरखातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 496 रकबा 0.59 हैक्टे0 किस्म बारानी 3, ख0न0 498 रकबा 0.46 हैक्टे0 किस्म बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हैक्टे0 की गैरखातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम से खारिज फरमाई जाकर एवं भूमि की किस्म गै0मु0 नदी एवं भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चिड़ावा को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं